भा०ल०08

संख्या– नौ–9–21–96ज/20

प्रेषक,

दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. **अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,**
   वित्त विभाग/महिला एवं बाल विकास विभाग/श्रम एवं सेवायोजन विभाग/चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा खाद्य एवं रसद विभाग उ0प्र0 शासन।
2. **जिलाधिकारी,**
   आगरा, अलीगढ़, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर एवं वाराणसी।
3. **नगर आयुक्त,**
   नगर निगम–आगरा, अलीगढ़, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर एवं वाराणसी।

नगर विकास अनुभाग–9 **लखनऊः दिनांकः। 5 जनवरी 2021**

विषयः–पीएम स्वनिधि योजनान्तर्गत लाभार्थियों एवं उनके परिवार की सोशियो इकोनामिक प्रोफाइलिंग (Socio- Economic Profiling) किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा संचालित की जा रही जनहित की अन्य योजनाओं से लाभान्वित किये जाने हेतु सामाजिक आर्थिक रुपरेखा के माध्यम से सम्बद्धता (Linkage) किये जाने के दृष्टिगत **"स्वनिधि से समृद्धि"** के अन्तर्गत पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों एवं उनके परिवारों की सामाजिक आर्थिक रुपरेखा (Socio-Economic Profiling of PM SVANidhi Beneficiaries and their Families) योजना का प्रारम्भ आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया है।

2. स्वनिधि से समृद्धि योजना के प्रथम चरण में मार्च, 2022 तक के लिये देश की 125 नगरीय निकायों का चयन किया गया है, जिसमें उ0प्र0 राज्य के 14 नगर निगम यथा आगरा, अलीगढ़, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर एवं वाराणसी चयनित है। पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों एवं उनके परिवारों की सामाजिक आर्थिक रुपरेखा आवास, अन्य सम्पत्ति, स्वास्थ्य योजनाओं से आच्छादन, विकलांगता की स्थिति, शिक्षा, कौशल, रोजगार, महिला एवं बाल कल्याण, बैकिंग एवं बीमा, प्रवास की स्थिति, परिवार के सदस्यों की व्यवसायिक श्रेणी, एसपिरेशनल मैपिंग एवं अन्य प्रासंगिक क्षेत्र से संबंधित सूचनाओं को एकत्र करने पर केन्द्रित है। इसका योजना का मुख्य उद्देश्य लाभार्थियों को अन्य केन्द्रीय योजनाओं से लिंक करना एवं पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों के लिए आधारभूत विवरण तैयार करना है।

3. पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों एवं उनके परिवारों की सामाजिक आर्थिक रुपरेखा के माध्यम से भारत सरकार द्वारा संचालित निम्न केन्द्रीय कल्याणकारी योजनाओं से सम्बद्ध किया जाना है:–

1. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (डिपार्टमेन्ट ऑफ फाइनेन्शियल सर्विसेज)
2. पीएम सुरक्षा बीमा योजना (डिपार्टमेन्ट ऑफ फाइनेन्शियल सर्विसेज)
3. प्रधानमंत्री जनधन योजना एवं रुपे कार्ड (डिपार्टमेन्ट ऑफ फाइनेन्शियल सर्विसेज)
4. बीओसीडब्लू के अन्तर्गत पंजीकरण (मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एण्ड इम्पलॉयमेन्ट)
5. प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एण्ड इम्पलॉयमेन्ट)
6. एनएफएसए पोर्टेबिलिटी बेनेफिट्स–वन नेशन वन कार्ड (ओएनओआरसी) (मिनिस्ट्री ऑफ कन्ज्यूमर अफेयर, फूड एण्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन)
7. जननी सुरक्षा योजना (मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एण्ड फैमिली वेलफेयर)
8. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमपीवाई) (मिनिस्ट्री ऑफ वूमेन एण्ड चाइल्ड डेवलेपमेन्ट)

पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों एवं उनके परिवारों की सामाजिक आर्थिक रुपरेखा किये जाने हेतु समस्त गतिविधियॉ के दायित्वों का निर्वहन नगरीय निकायों द्वारा किया जायेगा।

4. आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक–29.12.2020 (प्रति संलग्न) में की गयी अपेक्षा के कम में स्वनिधि से समृद्धि योजना के अन्तर्गत पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों एवं उनके परिवार की सामाजिक आर्थिक रुपरेखा निर्धारित कार्यक्रम के समस्त पहलुओं के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु राज्य स्तर पर, राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति का गठन निम्नवत किया जाता है:–

क्र0सं0	पदनाम	भूमिका
1.	प्रमुख सचिव, नगर विकास, उ0प्र0 शासन	अध्यक्ष
2.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य

3.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
4.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
5.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
6.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
7.	राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी, पीएम स्वनिधि योजना	सदस्य
8.	राज्य मिशन निदेशक, एन0यू0एल0एम0	समन्वयक

राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति द्वारा कम से कम दो माह के समयान्तराल पर बैठक की जायेगी एवं पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को केन्द्रीय योजनाओं से लाभान्वित किये जाने की समीक्षा की जायेगी और योजना के कियान्वयन में आ रही समस्याओं का निराकरण भी किया जायेगा।

5. उक्त योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार पीएम स्वनिधि योजनान्तर्गत लाभार्थियों एवं उनके परिवार की सामाजिक आर्थिक रुपरेखा कार्यक्रम के क्रियान्वयन के समस्त पहलुओं के जनपद स्तर पर अनुश्रवण हेतु जनपद स्तरीय अनुश्रवण समिति का गठन निम्नवत किया जाता है:-

क्र.सं.	पदनाम	भूमिका
1.	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	नगर आयुक्त	सदस्य संयोजक
3.	अपर जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
4.	जिला पूर्ति अधिकारी	सदस्य
5.	जिला शिक्षा अधिकारी	सदस्य
6.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी/स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य
7.	समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
8.	अग्रणी (Lead) बैंक प्रबन्धक	सदस्य
9.	परियोजना अधिकारी, डूडा	सदस्य
10.	योजना के आच्छादन सुनिश्चित किये जाने हेतु अन्य संबंधित अधिकारी (जिलाधिकारी द्वारा नामित)	सदस्य

जनपद स्तरीय अनुश्रवण समिति द्वारा प्रत्येक माह में दो बार (15 दिवसों के अन्तराल पर) अनिवार्य रुप से बैठक की जायेगी एवं पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को केन्द्रीय योजनाओं से लाभान्वित किये जाने की जनपद स्तर पर समीक्षा की जायेगी। साथ ही योजना में आ रही समस्याओं का निराकरण भी किया जायेगा। लाभार्थियों की Profiling 04 जनवरी 2021 से प्रारम्भ करते हुये फरवरी 2021 से प्रतिमाह कैम्प का सामाजिक दूरी का पालन करते हुये आयोजन किया जायेगा। कैम्प का आयोजन प्रत्येक माह के प्रथम सोमवार से एक सप्ताह तक किया जायेगा।

6. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों एवं उनके परिवारों को अन्य केन्द्रीय जन कल्याणकारी योजनाओं से सम्बद्धता (Linkage) हेतु (Socio-Economic Profiling of PM SVANidhi Beneficiaries and their Families) आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत गाइडलाइन (प्रतिसंलग्न) में दिये गये दिशानिर्देश के अनुसार समस्त कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0।
4. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उ0प्र0।
5. कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग/वेब मास्टर को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव

अ10210-05/9-9-2021

SANJAY KUMAR, IAS
Joint Secretary
and Mission Director (DAY-NULM)
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

सत्यमेव जयते

संजय कुमार, आई.ए.एस.
संयुक्त सचिव
एवं मिशन निदेशक (दी.अ.यो.–रा.श.आ.मि.)
भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

D.O. No. K-12012/08/2020- PM SVANidhi
December 29, 2020

Dear Sir,

Please refer to D.O. letter No. K-12012/08/2020-PM SVANidhi dated 10th December, 2020 by Secretary, MoHUA, regarding Socio-economic profiling of PM SVANidhi scheme beneficiaries and their families (copy enclosed). The programme aims at linking them to select Central government/State government Schemes, as per their eligibility.

2. A pilot has been conducted from 14th -20th December, 2020 in 6 cities. The roll out of the program in 125 cities, selected for saturation during the first phase, is scheduled from 4th January, 2021. In this connection, it was requested vide the above mentioned letter, to constitute the following State/ UT and District Level Monitoring Committees for effective implementation of the program.

a. State/UT Level Monitoring Committee headed by Principal Secretary - Urban Development/ Municipal Administration, and
b. District Level Monitoring Committee headed by District Collector/ Municipal Commissioner.

3. The concerned Central Ministries have nominated National, State and City Level Nodal Officers for ensuring scheme linkages (List is attached at **Annexure A**). The State and City Level Nodal Officers would be co-opted in the State/UT and District Level Monitoring Committees (composition of the Committees is at **Annexure B**).

4. The District Level Committee chaired by District Collector/ Municipal Commissioner would supervise the entire exercise of socio-economic profiling and linkages to eligible schemes. While the profiling would start from 4th January, 2021, monthly camps should be organized following the physical distancing norms, starting from February, 2021. The camps would be week-long starting from first Monday of every month. Eligibility data collected by the ULB officials during the previous month would be used as target group for these camps.

Contd........

Office: 112 C [illegible] Bhawan, New Delhi-110011, Phone 011-2306[illegible], 23061497
email : jsupa-mhupa@gov.in

5. In this connection, I would urge you to kindly issue necessary instructions for constitution of State/ UT and District Level Monitoring Committees for monitoring and implementation of socio-economic profiling and linkages to the Schemes. Further, the programme strongly advocates extension of State/ UT schemes to these beneficiaries. Therefore, suitable Schemes may be identified and sent to this Ministry for inclusion in this initiative.

With Regards

Yours Sincerely,

Encl: As above.

(Sanjay Kumar)

Chief Secretaries of all States/UTs